SATELLITE PLAYERS FACE SECURITY OVERHAUL UNDER INDIA'S REVISED GMPCS LICENSING RULES

India Enforces Sweeping Security Overhaul for Satellite Services Under GMPCS Framework

In a landmark move to tighten regulatory control over satellite communications, the Department of Telecommunications (DoT) has rolled out an extensive set of over 20 new security conditions under the Global Mobile Personal Communications by Satellite Services (GMPCS) license. The move affects current operators like Eutelsat OneWeb and Jio-SES, as well as aspirants such as Starlink and Amazon's Kuiper, reshaping how satellite connectivity will be deployed and governed in India.

Amid rising geopolitical tensions and the increasing strategic relevance of satcom services, the DoT's revised framework prioritizes national security, data sovereignty, and surveillance readiness. Licensees must now ensure all Points of Presence (PoPs) and data centers are located within India, and that Domain Name System (DNS) resolutions occur locally. An undertaking is mandatory from operators confirming that no Indian telecom data will be stored, copied, or decrypted abroad.

भारत के संशोधित जीएमपीसीएस लाइसेंसिंग नियमों के तहत सैटेलाइट प्लेयर्स को सुरक्षा में बदलाव का सामना करना पड़ेगा

भारत ने जीएमपीसीएस फ्रेमवर्क के तहत सैटेलाइट सेवाओं के लिए व्यापक सुरक्षा सुधार लागू किया

सैटेलाइट संचार पर विनियामक नियंत्रण को कड़ा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग (डॉट) ने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सैटेलाइट सर्विसेज (जीएमपीसीएस) लाइसेंस के तहत **20** से अधिक नयी सुरक्षा शर्तों का एक व्यापक सेट पेश किया है। यह कदम यूटेलसैट वनवेब और जियो एसईएस जैसे मौजूदा ऑपरेटरों के साथ-साथ स्टारलिंक और अमेजन के कुइपर जैसे आकांक्षी ऑपरेटरों को भी प्रभावित करता है, जिससे भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को तैनात करने और नियंत्रित करने के तरीके में बदलाव आयेगा।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव व सैटकॉम सेवाओं की बढ़ती रणनीतिक प्रासंगिकता के बीच दूरसंचार विभाग के संशोधित ढ़ांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और निगरानी तत्परता को प्राथमिकता दी गयी है। लाइसेंसधारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) और डेटा सेंटर भारत के भीतर स्थित हों और डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) रिजॉल्यूशन स्थानीयस्तर पर हों। ऑपरेटरों से यह पुष्टि करने के लिए एक वचनबद्धता अनिवार्य है कि कोई भी भारतीय दूरसंचार डेटा विदेश में संग्रहीत, कॉपी या डिक्रिप्ट नहीं किया जायेगा।

GLOBAL MOBILE PERSONAL COMMUNICATIONS BY SATELLITE SERVICES (GMPCS)

MANDATORY REAL-TIME MONITORING AND INTERCEPTION

Operators are required to provide real-time lawful interception capabilities through centralized monitoring systems (CMS/IMS) integrated at their network control centers or PoPs. This includes ensuring that no user traffic originating from or destined for India is routed through gateways located outside the country or through unlicensed satellite systems.

The new norms now extend firmly to mobile satcom services. Terminals must report their location every 2.6 kilometers or every minute—whichever is sooner—and automatically suspend services if a terminal enters a restricted zone. Integration with NavIC, India's indigenous satellite navigation system, is now compulsory, enhancing positional accuracy and sovereignty.

PUSH FOR LOCAL MANUFACTURING AND BORDER SURVEILLANCE

To promote domestic production, the DoT has mandated a phased indigenisation plan targeting 20% local manufacturing of ground equipment within five years. Furthermore, satcom players must establish a 50-kilometre surveillance zone along India's borders and ensure blocked websites in India remain blocked through their satellite networks.

Starlink has reportedly accepted most of the new conditions, indicating its readiness for a potential commercial debut.

This comprehensive regulatory overhaul signals India's assertive stance on securing its digital frontiers while balancing the nation's ambitions to become a major satcom hub in the global connectivity race.■

अनिवार्य वास्तविक समय निगरानी और अवरोधन

ऑपरेटरों को अपने नियंत्रण केंद्रों या पीओपीएस में एकीकृत केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों (सीएमएस/ आईएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय में वैध अवरोधन क्षमतायें प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि भारत से आने वाला या भारत के लिए जाने वाला कोई भी उपयोगकर्ता ट्रैफिक देश के बाहर स्थित गेटवे या बिना लाइसेंस वाले सैटेलाइट प्रणालियों के माध्यम से रूट न हो।

नये मानदंड अब मोबाइल सैटकॉम सेवाओं तक भी पूरी तरह से लागू हो गये हैं। टर्मिनलों को हर **2.6** किलोमीटर या हर मिनट पर अपनी लोकेशन बतानी होगी–जो भी पहले हो– और अगर कोई टर्मिनल प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे स्वाचालित रूप से सेवायें निलंबित कर देनी चाहिए। भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नविगेशन सिस्टम NavIC के साथ एकीकरण अब अनिवार्य है, जो स्थितिगत सटीकता और संप्रभुत्ता को बढ़ाता है।

स्थानीय विनिर्माण और सीमा निगरानी के लिए जोर

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने पांच साल के भीतर जमीनी उपकरणों के **20%** स्थानीय विनिर्माण को लक्षित करते हुए चरणबद्ध स्वदेशीकरण योजना को अनिवार्य किया है। इसके अलावा सैटेकॉम खिलाड़ियों को भारत की सीमाओं के साथ **50** किलोमीटर का निगरानी क्षेत्र स्थापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में अवरूद्ध वेबसाइटें उनके सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से अवरूद्ध रहें।

स्टारलिंक ने कथित तौर पर अधिकांश नयी शर्तों को स्वीकार कर लिया है जो संभावित व्यवसायिक शुरूआत के लिए इसकी तत्परता को दर्शाता है। यह व्यापक विनियामक ओवरहोल वैश्विक कनेक्टिविटी दौड़ में एक प्रमुख सीटकॉम हब बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करते हुए अपने डिजिटल सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत के दृढ़ रूख का संकेत देता है। ■